

54/1/2021

अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के पत्रांक-391/भू0सु0 दिनांक-29-12-2020 से बन्दोबस्ती केन्सीलेशन वाद अभिलेख प्राप्त हुआ है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ने अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि मौजा-तिलोबदार, थाना नं0-437 के खाता सं0-78, खेसरा सं0-127, रकवा-00-02-00 धुर, किस्म-बाँध के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है जो गैरमजरूआ प्रतिबंधित श्रेणी की आम भूमि है। संताल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा-36 में वर्णित है कि गाँव की सीमाओं पर नदी, नाला, भामसान, कब्रिस्तान, रास्ता एवं पूजा स्थल आदि भूमि की बन्दोबस्ती नहीं की जानी है एवं धारा-38 में वर्णित है कि कोई भूमि जो ग्राम चारागाह या गोचर अभिलेखित हो की बन्दोबस्ती किसी व्यक्ति के साथ नहीं की जानी है। साथ ही झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6144/रा0 दिनांक-21.12.2017 की कंडिका 5 की उपकंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की गैरमजरूआ भूमि यथा गौचर, वन भूमि, भामसान, हडगडी, कब्रिस्तान, सरना स्थल, मसना स्थल, नदी-नाला, बाँध पहाड़ आम रास्ता आदि का नियमितीकरण/बन्दोबस्ती नहीं की जाएगी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा संताल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा-36 एवं 38 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6144/रा0 दिनांक-21.12.2017 एवं पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण 89/2020-1704/रा0 दिनांक-15.07.2020 के तहत मौजा-तिलोबदार, थाना नं0-437 खाता सं0-78, खेसरा सं0-127, रकवा-00-02-00 धुर, किस्म-बाँध भूमि नागे 2 वर पंडित वगै0 पिता-शंभु पंडित सा0 तिलोबदार के साथ कायम अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनु। संसा किया गया है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर संताल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा-36 एवं 38 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6144/रा0 दिनांक-21.12.2017 एवं पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण 89/2020-1704/रा0 दिनांक-15.07.2020 के तहत मौजा-तिलोबदार, थाना नं0-437 खाता सं0-78, खेसरा सं0-127, रकवा-00-02-00 धुर, किस्म-बाँध भूमि नागे 2 वर पंडित वगै0 पिता-शंभु पंडित सा0 तिलोबदार के साथ कायम अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को दें।

9/04/2021.  
अनुमंडल पदाधिकारी  
गोड्डा।